







(2)

श्रीमती विन्दू सिंह पुत्री अखनरायन सिंह पत्नी श्री अशोक कुमार सिंह व अभिषेक कुमार सिंह उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र श्री अशोक कुमार सिंह से रजिस्ट्री बैनामा दिनांक 19.07.2014 को क्रय कर उक्त भूखण्ड पर कायिज दाखिल हो गयी तथा दैनान्त के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित होकर सिशोदिया एजुकेशनल ट्रस्ट का नाम अंकित हो गया।

5. यह कि हम शपथी प्रश्नगत भूखण्ड को आवासीय / व्यवसायिक प्रयोग में उपयोग कर रही हैं। उक्त रकबा में किसी भी प्रकार से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। बल्कि उक्त रकबा में भवन बनाकर आवासीय / व्यवसायिक प्रयोग में लाया है किसी भी प्रकार से उपरोक्त भूखण्ड कृषि उपयोग में नहीं लायी जा रही है।

6. यह कि उक्त आराजी रकबा की कृषि से खारिज करके अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जिससे मौका व असुलियत नहीं व सच हो सके।

यह कि आराजी संख्या-71 रकबा 1.012 हे० भूमि को लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषणापित किया जाना न्यायहित में उचित एवं अतिआवश्यक है।

7. यह कि शपथी की आराजी संख्या-71 रकबा 1.012 हे० भूमि को कृषि खाते से निरस्त करके लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषणापित किया जाना नितांत आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

यह कि शपथ पत्र का पैरा 1 से लगायत 8 तक मेरे निजी जानकारी में नहीं व सच है इसमें कोई बात छिपाई नहीं गयी है और न ही गलत दर्ज की गयी है तो इसपर मेरी मदद करे।

शपथी

(श्रीमती विन्दू सिंह)

पत्नी श्री अशोक कुमार सिंह

मुख्य ट्रस्टी सिशोदिया एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित  
सिशोदिया मिहाविद्यालय देला पिपराईच गोरखपुर  
नियसिनी भकान न०-864 बी राय कालोनी मोहर्ददीपुर  
जिला गोरखपुर।

दिनांक: 29.08.2022

29/8/2022

विन्दू सिंह

**NIYANAND SINGH**  
**NOTARY**  
10, Tehsil Sadar, Gorakhpur





वि.प्र.सिंह

*[Handwritten signature]*

29/8/2022

1503

29.8.2022

Serial Number .....  
Solemnly affirmed before me on this day of August 2022

3-48

affirmed by

*[Handwritten signature]*

ME  
SHRI

Witnesses

has  
read over to me

the contents of  
the document

*[Handwritten signature]*  
SINGH 29.8.2022

NITYA SINGH  
NOTARY  
Sole Notary